राजस्थान सरकार

निदेशालय, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक :F.1(A)49/Estt/Ins/Part-6/Jr.Assistant/Appoinment-00379 दिनांक : 20-05-2025

आदेश – 66

प्रशासनिक सुधार (अनुभाग–3) विभाग के पत्रांकः प.1(2)प्र.सु./अनु–3/2022–Sports दिनांक 24.03.2025 के क्रम में राजस्थान क्रीडा पदक विजेताओं को बिना पारी नियुक्ति नियम 2017 (संशोधित नियम, 2020) के नियम 3 (8) में गठित समिति की अभिशंषाओं के आधार पर इस विभाग को आवंटित निम्नांकित खिलाड़ी को राजस्थान सेवा नियम एवं राजस्थान अधीनस्थ कार्यालय लिपिक वर्गीय सेवा नियम, 1999 के अन्तर्गत वर्ष 2023–24 की रिक्तियों के विरूद्ध कनिष्ठ सहायक के पद पर अस्थाई आधार पर कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 20.01.2006 एवं वित्त नियम विभाग की अधिसूचना क्रमांकः प० 15(1)वित्त/नियम/2017 दिनांक 30.10.2017 के अनुसार दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी (Probationer-Trainee) के रूप में नियत पारिश्रमिक 14,600/– प्रतिमाह एवं तत्पश्चात पे–मैट्रिक्स लेवल संख्या–05 पर निम्नलिखित शर्तो पर कार्यभार संभालने की तिथि से एतदद्वारा नियुक्त किया जाता है:–

क्रम संख्या	नाम श्री/श्रीमती/सुश्री	पिता का नाम श्री	जन्म दिनांक	श्रेणी	शिक्षा	खेल	पदक	पदस्थापन स्थल, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग,
1	Ravina Bishnoi	Jagdish Bishnoi	16-09-2004	OBC	12 th	Cycling	Bronze	बीकानेर

उक्त नियुक्ति निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन प्रदान की जाती है :–

1. अभ्यर्थी को नियुक्ति आदेश जारी होने की तिथि से 15 दिवस के अन्दर ऊपर वर्णित तालिका में अपने नाम के सम्मुख अंकित कार्यालय में पद का कार्यभार ग्रहण करना होगा। अपरिहार्य एवं अन्य परिस्थिति के कारण 15 दिवस में उक्त अभ्यर्थी पद का कार्यभार संभालने में असमर्थ हो तो पूर्ण विवरण के साथ कारण स्पष्ट करते हुए निम्नहस्ताक्षरकर्ता को लिखित में सूचित कर देवें। निर्धारित अवधि में कार्यभार नहीं संभालने अथवा कोई उत्तर प्राप्त नहीं होने की स्थिति में नियुक्ति आदेश निरस्त करने की कार्यवाही की जावेगी।
2. जो अभ्यर्थी पूर्व से ही नियमित राज्य सेवा में कार्यरत है उन्हें राज्य सरकार के नियमानुसार ही वेतन भत्ते देय होगें परंतु पदस्थापन पर कार्यग्रहण के समय पूर्व नियोजक के द्वारा उचित माध्यम (through proper channel) से कार्यमुक्त किये जाने का आदेश, अनापत्ति प्रमाण–पत्र एवं गत भुगतान प्रमाण–पत्र भी प्रस्तुत करना होगा।
3. परीवीक्षाधीन प्रशिक्षण अवधि के दौरान वित्त (नियम) विभाग की अधिसूचना संख्या एफ 6(6)एफडी/रूल्स/2005 दिनांक 13.03.2006, एफ 1(2)एफडी/रूल्स/2006 दिनांक 13.03.2006, एफ 13(1)एफडी/ रूल्स/2003 दिनांक 13.03.2006 एवं राजस्थान सिविल सेवा(संशोधित वेतनमान) नियम, 2017 दिनांक 09.12.2017 के अन्तर्गत नियत पारिश्रमिक (Fix remuneration) के हकदार होगें इसके अतिरिक्त अन्य भत्ते यथा–मकान किराया भत्ता, महंगाई भत्ता, शहरी क्षतिपूर्ति भत्ता, विशेष वेतन आदि देय नहीं होगें। यह पारिश्रमिक माननीय राजस्थान, उच्च न्यायालय, की खण्डपीठ, जयपुर में हुए निर्णय के विरूद्ध माननीय सर्वोच्च न्यायलय में की गई एस.एल.पी 25565/2015 राजस्थान राज्य बनाम गोपाल कुमावत के निर्णय के अध्ययीन होगा।
4. राज्य सरकार द्वारा जारी नियमानुसार पेंशन योजना के प्रावधान लागू होगें एवं अन्य आदेश जो राज्य सरकार द्वारा जारी किये गये हो उनके अधीन ही सेवा एवं सेवालाभ देय होंगें।
5. उक्त नियुक्ति सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के परिपत्र एफ 11/एसटी एससी ओबीसी एसबीसी/जा.प्र.प./सामान्यअवि/2015/54159 दिनांक 09.09.2015, पत्रांक 63606–726 दिनांक 20.10.2015 एवं प० 11(204)आरएण्डपी/डीडीबीसी/सान्याअवि/2011/68999–69032 जयपुर दिनांक 11.11.2016 में वर्णित दिशा–निर्देशों/सत्यापन के अध्यधीन पूर्णतया अस्थाई रूप से रहेगी।
6. इस विभाग को पुलिस विभाग द्वारा जारी चरित्र सत्यापन रिपोर्ट में कोई भी विपरीत रिपोर्ट (Adverse report) पाये जाने पर चयनित अभ्यर्थी की **अभ्यर्थिता निरस्त करते हुए उनका चयन निरस्त** किये जाने का अधिकार होगा।

Signature valid
Digitally signed by Khushaal Yadav
Designation: Director
Date: 2025.05.20 13:07:31 IST
Reason: Approved

7. अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व नियत वेतन (Fix Pay) पर कार्य करने की अपनी सहमति लिखित रूप में प्रस्तुत करनी होगी।
8. परिवीक्षाकाल (Probation Period) में इन्हें कोई वार्षिक वेतनवृद्धि देय नहीं होगी।
9. चयनित अभ्यर्थी का आचरण परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण अवधि में असंतोषजनक पाये जाने पर इनको बिना किसी क्षतिपूर्ति के सेवा से विमुक्त किया जा सकेगा।
10. दो वर्ष की परिवीक्षा प्रशिक्षण अवधि में संतोषजनक सेवा पूर्ण करने के उपरान्त ही इनका वेतन निर्धारण कनिष्ठ सहायक के पद पर पे–मेट्रिक्स लेवल संख्या – 05 में नियमानुसार किया जाकर वेतन एवं उस पर अन्य भत्ते देय होंगे।
11. चयनित परिवीक्षा प्रशिक्षण अवधि में अवकाश आदि राजस्थान सेवा नियमों के प्रावधानों के अनुसार देय होंगे।
12. अभ्यर्थी की जन्म तिथि उनके द्वारा प्रस्तुत सैकण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण करने के प्रमाण पत्र के आधार पर अंकित की गई है। **अंकित की गई जन्म तिथि अपरिवर्तनीय होगी।**
13. अभ्यर्थी को कार्यभार संभालने हेतु किसी प्रकार का **यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।**
14. उक्त नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी निर्देशों/परिपत्रों के अन्तर्गत शामिल होगी एवं समय–समय पर जारी किये गये निर्देश/परिपत्र लागू होंगें।
15. इनकी वरिष्ठता राजस्थान क्रीडा पदक विजेताओं को बिना पारी नियुक्ति नियम 2017 (संशोधित नियम, 2020) के नियम 3 (10) के अनुसार निर्धारित होगी।
16. इनका चयन वर्ष 2023–24 की रिक्तियों के विरूद्ध किया गया है अतः विभागीय स्तर पर इनकी वरिष्ठता निर्धारण का क्रम नियमानुसार (पदौन्नति/सीधी भर्ती/ खिलाड़ी कोटा) होगी।
17. **राजस्थान क्रीडा पदक विजेताओं को बिना पारी नियुक्ति नियम 2017 (संशोधित नियम, 2020) के नियम 3 (6) के अनुसार चयनित खिलाड़ी को 5 वर्ष की कालावधि में सुसंगत सेवा नियमों के अधीन पद के लिये अपेक्षित अर्हताऐं अर्जित करनी होगी जिसमें विफल रहने पर नियुक्ति समाप्त कर दी जावे।**
18. चयनित खिलाडी को खेल संबंधी कार्यकलापों को जारी रखने हेतु विभागाध्यक्ष द्वारा उपरोक्त वर्णित नियम के नियम 3(4) के अनुसार अनुकूल बातावरण उपलब्ध करवाया जायेगा। चयनित खिलाडी का कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन इनके खेलों मे प्राप्त उपलब्धियों के आधार पर किया जायेगा।
19. चयनित अभ्यर्थी को कार्यग्रहण करने से पूर्व 50/– रूपये सममूल्य के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर इस आशय का शपथ–पत्र प्रस्तुत करना होगा कि उनके द्वारा आवेदन पत्र में दी गई समस्त सूचनाएं एवं संलग्न किये गये दस्तावेज एवं प्रमाण–पत्र सत्य है। यदि अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों में से कोई दस्तावेज/सूचना कूटरचित एवं अप्रमाणिक पाये जाने पर नियुक्तिकर्ता प्राधिकारी द्वारा इनकी सेवाएं तत्काल प्रभाव से समाप्त की जा सकेंगी एवं अभ्यर्थी के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही अमल में लायी जावेगी।
20. संबंधित अभ्यर्थी को कार्यग्रहण करते समय वांछित शपथ–पत्र एवं दस्तावेज यथा शैक्षणिक योग्यता, प्रशैक्षणिक योग्यता (कम्प्यूटर/typing सबंधी), आयु व अन्य किसी छूट (जैसे अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/ओ.बी.सी./एम.बी.सी/विकलांग आदि) के सबंध में सम्बन्धी शपथ पत्र /घोषणा पत्र एवं दस्तावेजों का मूल दस्तावेजों (Original Documents) से मिलान एवं सत्यापन करवाने के पश्चात् ही उनका कार्यग्रहण (Duty Joining) स्वीकार किया जावेगा। अभ्यर्थी को इनकी सत्यापित प्रतियां प्रस्तुत करनी होगी अन्यथा नियुक्ति आदेश निरस्त कर दिया जावेगा।

निदेशक
राज्य बीमा एवं प्रा.नि. विभाग,
राजस्थान, जयपुर

Signature valid
Digitally signed by Khushaal Yadav
Designation : Director
Date: 2025.05.20 17:07:31 IST
Reason: Approved

क्रमांक F.1(A)49/Estt/Ins/Part-6/Jr.Assistant/Appoinment-00379 / 1874-1887 दिनांक : 20-05-2025

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. शासन उप सचिव, प्रशासनिक सुधार (अनुभाग–3) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर को उनके पत्रांकः प.1(2)प्र.सु./अनु–3/2022–Sports दिनांक 24.03.2025 के क्रम में।
2. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (बीमा) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
3. वरिष्ठ निजी सचिव, निदेशक महोदय, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, मुख्यालय, जयपुर।
4. मुख्य लेखाधिकारी, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, मुख्यालय, जयपुर।
5. अतिरिक्त निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रा.नि. विभाग, बीकानेर संभाग, बीकानेर।
6. संयुक्त/उप/सहायक निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रा.नि. विभाग, बीकानेर, दिशा निर्देशों के बिन्दु संख्या 19 एवं 20 की पालना सुनिश्चित करते हुए नियुक्ति संबंधी कार्यवाही सम्पादित की जावें। आप अभ्यर्थी से उक्त प्रमाण पत्र/दस्तावाजों की सत्य प्रतिलिपियां (Certified/Self Attested Documents) प्राप्त करते हुए नियुक्ति संबंधी कार्यवाही करें।
7. संयुक्त निदेशक (संस्थापन/एपीएआर सैल) राज्य बीमा एवं प्रा.नि. विभाग, मुख्यालय, जयपुर।
8. सिस्टम एनालिस्ट, राज्य बीमा एवं प्रा.नि. विभाग ,मुख्यालय, जयपुर को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु।
9. वरिष्ठता निर्धारक लिपिक/केडर स्ट्रेंथ लिपिक/एसीआर लिपिक।
10. सम्बन्धित अभ्यर्थी सुश्री रविना बिश्नोई पुत्री श्री जगदीश बिश्नोई, मो.नं. 7232873679, निवासी–चूंगी चोकी, गजनेर रोड, गली नं. 01, बीकानेर–334004 (डाक द्वारा)।
11. निजी पत्रावली/रक्षित पत्रावली।

निदेशक
राज्य बीमा एवं प्रा.नि. विभाग,
राजस्थान, जयपुर

Signature valid
Digitally signed by Khushaal Yadav
Designation: Director
Date: 2025.05.20 12:07:31 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 15110826